दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

मोबाइल लूटपाट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, लूट की मोबाइल व आरोपियों की पल्सर बाइक जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। शिवम होटल माल धक्का रोड में काम करने वाला आजाद सा पिता कुबेर चरण सा उम्र 23 वर्ष खाना पहुंचाने सरला विला जा रहा था कि दिनांक 12.11.2019 के रात्रि करीब 9:30 बजे आमंत्रण होटल के पास एक मोटरसाइकिल में आए तीन व्यक्ति आजाद सा के हाथ से उसका रियल बी एक्स मोबाइल कीमती रू. 16,000 को लूट कर भाग गए। घटना की रिपोर्ट आजाद सा द्वारा थाना चक्रधरनगर में दर्ज कराया गया जिस पर अपराध क्रमांक 423/19 धारा 392, 34 भादवि अज्ञात तीन आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरमियान आरोपियों के हुलिये से संदिग्ध युवक प्रकाश बाघ निवासी मोदीपारा कोतरारोड को हिरासत में लिया गया, जिसने अपने दो अन्य साथियों के साथ आमंत्रण होटल के पास रात्रि में एक युवक से मोबाइल छीनना स्वीकार किया। आरोपी प्रकाश बाघ पिता वासुदेव बाघ उम्र 22 वर्ष निवासी मोदीपारा कोतरारोड थाना कोतवाली के मेमोरेंडम पर लूटी हुई मोबाइल रियल बी एक्स कीमती रू.16,000 तथा घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक सीजी13 जैड 3499 जप्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है तथा उसके दोनों साथी जो फरार है उनकी जा रही है।

जला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन 17 नवम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष संचालनालय रायपुर के निर्देशानुसार जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन 17 नवम्बर 2019 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय परिसर पंजरी प्लांट, कलेक्टरेट रोड रायगढ़ में किया जाएगा।

डायल 112 इवेंट

मिर्गी दौरा आने पर बालक के लिए मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट

न्याय साक्षी/रायगढ़। दिनांक 13 नवम्बर के दोपहर 12:29 बजे सारंगढ़ राइनो को ग्वालिनडीह में मेडिकल इमरजेंसी के लिए रवाना किया गया ग्वालिनडीह में रहने वाले मयूरी बंजारे पिता बसंत बंजारे उम्र 5 साल को मिर्गी दौरा आने से शीघ्र उपचार की आवश्यकता थी जिसे सारंगढ़ राइनो के आरक्षक महेंद्र मार्को द्वारा ईआरवी वाहन के जरिये सीएचसी सारंगढ़ ले जाकर भर्ती कराया गया।

घास काट रहे व्यक्ति को सर्प ने काटा

दिनांक 13 नवम्बर के दोपहर 15:51 बजे तमनार राइनो को मेडिकल इमरजेंसी के इवेंट पर मुडागांव के लिए रवाना किया गया। मुडागांव में रहने वाला चमरू सिदार पिता बैगा सिदार उम्र 45 वर्ष अपनी बाडी में घास काट रहा था जिसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया। आहत को उपचार के लिए तमनार राइनो आरक्षक भागवत बरेठ द्वारा ईआरवी वाहन से सीएचसी तमनार ले जाकर भर्ती कराया गया है।

दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत

दिनांक 13 नवम्बर के दोपहर 14:13 बजे लैलूंगा राइनो को रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर मुकडेगा के लिए रवाना किया गया। जहां दो मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट होने से एक मोटर सायकल का चालक दिनेश कुमार उरांव पिता मायाराम उरांव उम्र 26 वर्ष निवासी चंवरपुर थाना लैलूंगा तथा दूसरे मोटरसाइकिल का चालक रवि सिदार पिता चेतराम सिदार उम्र 20 साल निवासी सिहारधार को चोटे आई थी। आहतो को डायल 112 आरक्षक विभुति सिंह द्वारा 108 वाहन के जरिए सीएससी लैलूंगा ले जाकर भर्ती कराया गया है।

मोटरसाइकिल से गिर कर घायल

दिनांक 13 नवम्बर के सुबह 11:09 बजे सारंगढ़ राइनो को रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर कुधरी के लिए रवाना किया गया। जहां मोटरसाइकिल का चालक दया सिंह कुर्रे पिता जोधाराम उम्र 45 साल निवासी कटेकोनी मोटरसाइकिल से अनियंत्रित होकर गिर गया था जिसे सारंगढ़ राइनो के आरक्षक महेंद्र मार्को द्वारा ईआरवी वाहन के जरिए सीएचसी सारंगढ़ ले जाकर भर्ती कराया गया है।

डीएमएफ मद के लिए जनप्रतिनिधि दें अपने क्षेत्रों से कार्यों के प्रस्ताव-प्रभारी मंत्री चौबे

प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए 31 करोड़ 20 लाख रुपए राशि का अनुमोदन

न्याय साक्षी/रायगढ़। संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट तथा जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक ली। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक लालजीत सिंह राठिया, प्रकाश नायक, चक्रधर सिदार, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, कलेक्टर यशवंत कुमार, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह उपस्थित थे।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि जिला खनिज न्यास निधि से सभी जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के कार्यों के प्रस्ताव दें। उन्होंने कहा कि खनिज न्यास निधि से होने वाले निर्माण कार्य की पूर्ण जानकारी जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार कार्य होना चाहिए। विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रस्ताव बनायें। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे तेजस एवं तेजस्विनी एकेडमी की सराहना की और इसे युवाओं की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन आपसी संवाद एवं सुझाव से प्रस्ताव बनाये। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत जनसहयोग लेते हुए उद्योग एवं डीएमएफ के माध्यम से बड़े कार्य किए जा सकते है। उन्होंने नदेली में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजना के लिए केडा को निर्देशित किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने विभिन्न कार्यों के लिए 31 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन किया।

इस अवसर पर रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में प्राप्त आय एवं व्यय की जानकारी, रायगढ़ जिला अंतर्गत खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की संशोधित सूची का शासी परिषद से अनुमोदन, रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से न्यास के आकस्मिक व्यय हेतु एक करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है।

उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि खरसिया के शासकीय चिकित्सालय में गायनकोलाजिस्ट की भर्ती करें। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में धरमजयगढ़, घरघोड़ा एवं खरसिया क्षेत्र में आयरन तथा तमनार क्षेत्र में फ्लोराइड की अधिकता है, ऐसे स्थानों को चिन्हांकित कर शासकीय स्कूलों में पेयजल के लिए आरो वाटर की व्यवस्था करने के लिए कहा।

इस अवसर पर कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 में अक्टूबर तक की अवधि में जिला खनिज न्यास निधि में कुल 192 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। जिसमें से इसी अवधि में कुल 550 कार्यों के लिये 161 करोड़ 16 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जारी प्रशासकीय स्वीकृति के विरूद्ध अभी 118 करोड़ 74 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। महासमुंद जिले एवं जशपुर जिले के लिये न्यास निधि में से 15 प्रतिशत क्रमशः 36 करोड़ 29 लाख एवं 36 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि दी गई है।

प्रभारी मंत्री चौबे ने कहा कि दूरस्थ अंचल के जनजातीय क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण स्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें। उन्होंने रायगढ़ में डायबिटिज क्लीनिक के लिए सहमति प्रदान की। उन्होंने हाट-बाजार क्लीनिक योजना की जानकारी ली।

सारंगढ़ व तमनार पुलिस की जुआ, अवैध शराब एवं सट्टा पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ स्टाफ द्वारा दिनांक 12.11.2019 को ग्राम अमेठी स्कूल प्रांगण में 52 पत्ती ताश से जुआ खेल रहे व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकडे। जहां एक फड पर 1-अजीत कुमार पटेल पिता शंकुनी पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी कपरतुंगा, 2-चंदन पटेल पिता उदयराम पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी रोहिनापाली, 3-मोतीचंद पटेल पिता सतराम पटेल 32 वर्ष निवासी मोहाढोढा थाना सारंगढ़ को 52 पत्ती तास से काट पत्ती नामक जुआ खेलते रंगे हाथों पकड गया है जिनके फल एवं पास से ?1950 एवं 52 पत्ती ताश जप्त किया गया है।

अमेठी स्कूल प्रांगण के पास एक और जुआ फड पर 52 पत्ती तास से काट पत्ती जुआ खेल रहे जुआरी 1- धनेश्वर राव पिता श्यामलाल राव उम्र 34 वर्ष साकिन अमेठी, 2- कमल लोचन सिदार पिता श्यामलाल सिदार उम्र 36 वर्ष साकिन मोहाढोढा, 3- नरेश महंत पिता धुरबीन दास महंत उम्र 40 वर्ष निवासी अमेठी से नगदी रकम रू. 1550 एवं 52 पत्ती ताश जप्त किया गया है।

तमनार पुलिस द्वारा दिनांक 12.11.2019 के शाम साहू पारा तमनार में एक व्यक्ति सट्टा पट्टी लिखने की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया जिसमें विजय ठाकुर पिता बैकुंठ ठाकुर उम्र 53 साल निवासी साहू पारा तमनार को विभिन्न अंकों के सट्टा पट्टी के साथ पकड़ा गया है। आरोपी के पास से सट्टा पट्टी व नगद रकम 2550 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी के विरुद्ध थाना तमनार में 4 (क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

मुखबीर सूचना पर आज दिनांक 13.11.2019 के सुबह थाना सारंगढ़ में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जनक राम साहू व हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम हरदी के मोहन सिदार घर में शराब बनाने एवं बेचने की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी के घर जाकर उसे तलब कर शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में पूछताछ करने पर घर से 10 ब्लक लीटर कच्ची महुआ शराब पेश किया जिसे जप्त कर आरोपी मोहन सिदार पिता नेतराम सिदार उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम हरदी थाना सारंगढ़ के विरुद्ध 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

वीभत्स हत्याकांड का शीघ्र पटाक्षेप करने पर टी.आई. कोतरारोड चुने गए कॉपी ऑफ द मंथ

दैनिक न्याय साक्षी में दिनांक 21 व 22 अक्टूबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था...

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने किया पुरस्कृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड अंतर्गत दिनांक 19.10.2019 को जिंदल स्कूल के आगे मानसरोवर तालाब के मोड़ के पास मृतक जेएसपीएल के ठेकेदार संदीप सिंह की अज्ञात आरोपी द्वारा वीभत्स हत्या कर शव के टुकडो को अलग थलग फेंक देने के मामले में शव के शेष टुकडों की बरामदगी एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर मामले का 60 घंटे के भीतर पटाक्षेप करने वाले थाना कोतरारोड प्रभारी निरीक्षक रूपक शर्मा एवं अपराध विवेचना में उनके सहयोगी रहे प्रधान आरक्षक नरेंद्र यादव थाना कोतरारोड को संयुक्त रूप से माह अक्टूबर का कॉपी ऑफ द मंथ चुना गया है।

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा अपराध विवेचना में उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुये उनके मनोबल बढ़ाने हेतु दोनों को नगद इनाम राशि से भी पुरस्कृत किया गया है।

जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, कलेक्टर यशवंत कुमार, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता और अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कलेक्टर ने अधिकारियों से खरीफ सिंचाई की उपलब्धि, खरीफ सिंचाई पश्चात जलाशयों में उपलब्ध जल की स्थिति, रबी सिंचाई का लक्ष्य और अन्य विषयों की विस्तार से जानकारी ली। प्रकाश नायक ने भी शासन की योजना से लाभान्वित करने के लिए अवगत कराया। कलेक्टर ने बताया कि रायगढ़ जिले में हसदेव बागों खरसिया ब्रांच केनाल वृहद परियोजना, केलो परियोजना, 5-मध्यम योजना, केडार जलाशय, पुटका जलाशय, किंकारी जलाशय, मांड व्यपवर्तन एवं खम्हार पाकुट जलाशय योजना के तहत कुल 175 लघु योजनाएं निर्मित है। इनमें 131 जलाशय तथा 44 व्यपवर्तन योजना है। कुल मिलाकर 182 योजनाओं की सिंचाई क्षमता 79401 हेक्टेयर खरीफ तथा 7827 हेक्टेयर रबी कुल 87288 हेक्टेयर रुपांकित है।

पुरानी रंजिश को लेकर लोहे के खरदा से युवक पर जानलेवा प्रहार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पुसौर अंतर्गत आहत खगेश्वर सोनी पिता शुभराम सोनी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सुपा दिनांक 12.11.2019 को थाना पुसौर आकर उसके बड़े पिताजी का बेटी दामाद शोभाराम बर्मन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी कोटेकोनीहा द्वारा लोहे के खरदा से से गले में मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराने आया जिसे उपचार/मुलाहिजा हेतु सीएचसी पुसौर भिजवाया गया। आहत के मेडिकल मुलाहिजा रिपोर्ट से आरोपी के विरुद्ध धारा 307 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

आहत खगेश्वर सोनी ने बताया कि दिनांक 12.11.19 के दोपहर 12:30 बजे गांव के खोरसी तालाब पैदल नहाने गया था। तालाब में पहले से इसका चाचा अनंतराम सोनी और बड़े पिताजी का दामाद शोभाराम बर्मन निवासी कोटेकोनीहा मौजूद थे। चाचा नहाकर पहले चला गया, खगेश्वर नहाकर अपने कपड़े धो रहा था तभी इसके बड़े पिताजी का दामाद शोभाराम बर्मन एक लोहे का खरदा निकालकर खगेश्वर गर्दन पर 5-6 बार मारा, बीच बचाओ में खगेश्वर के हाथों में भी चोटें आई है। आहत के शोर मचाने पर शोभाराम बर्मन भाग गया। आहत के परिजनों ने बताया कि शोभाराम बर्मन की कोई संतान नहीं है, आहत के परिवार से पूर्व रंजिश पर उसके द्वारा खगेश्वर पर जानलेवा हमला किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 227/19 धारा 307 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है।

पूंजीपथरा पुलिस ने बैटरी चोर व तमनार पुलिस ने अवैध कबाड़ सहित ट्रेक्टर को पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा दिनांक 12.11.19 को चोरी की हुई बैटरी बिक्री करने की मुखबिर सूचना पर सामारूमा के राम कुमार यादव को तलब कर पूछताछ किये। राम कुमार यादव ने अपने साथी रूपलाल यादव निवासी सामारूमा के साथ सामरूमा के पास रोड़ किनारे पलटी हुई ट्रेलर से एक बैटरी चोरी कर बिक्री करना बताया जिसके मेमोरेण्डम से एक बैटरी ईवाईड गोल्ड कीमती 10,000 रूपये को जप्त किया गया है। आरोपी (1) रामकुमार यादव पिता सन्यासी यादव उम्र 28 वर्ष सामारूमा थाना -पूंजीपथरा (2) रूपलाल यादव पिता कीर्तन यादव उम्र 22 वर्ष सा. सामारूमा थाना - पूंजीपथरा के विरूद्ध इस्तगासा क्रमांक 15/19 धारा 41(1+4) सीआरपीसी /379 आईपीसी की कार्यवाही कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

वहीं दूसरे मामले में तमनार पुलिस द्वारा दिनांक 12.11.19 के शाम ट्रेक्टर में लोहे के टुकड़ो (कबाड) को लोड कर अवैध रूप से परिवहन करते हुये कुंजेमुरा के पास ट्रेक्टर चालक को पकड़े। चालक खीरसागर द्वारा जेपीएल से कबाड को लेकर आना बताया जिसका कोई कागजात उसके पास उपलब्ध नहीं था। ट्रेक्टर में लोड कबाड चोरी का होने के संदेह पर मय कबाड ट्रेक्टर को जप्त कर थाना लाया गया। ट्रेक्टर में 3.200 टन कबाड कीमती 83,200 रूपये का लोड है। चालक खीरसागर सिदार पिता अक्षय लाल सिदार उम्र 34 वर्ष निवासी उत्तर रेंगाव थाना तमनार के विरूद्ध थाना तमनार में इस्तगासा क्रमांक 09/19 धारा 41 (1+4) सीआरपीसी /379 आईपीसी की कार्यवाही की गई है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com - www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480